07.07.2022 वादी एवं प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 की ओर से हाजरी दी गई। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से साक्ष्य हेतु संम्यावेदन दाखिल किया गया।

वाद पुकार पर उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए, तथा प्रतिवादी सं0–1 के संम्यावेदन पर सुना, तथा स्वीकृत किया गया। वादी सं0–2(a) से 2(e) के दिनांक–20.06.2022 के आदेश–22 नियम–2 सी0 पी0 सी0 के आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। इनका कथन है कि वादी सं0–1 रामसखी देवी की मृत्यु दिनांक–15.05.2021 को हो गई है। आगे कथन करते है कि इनके वारीशान चार पुत्र क्रमशः अभिनंदन यादव, अरविन्द यादव, प्रवीन कुमार यादव एवं राजीव कुमार यादव एवं एक मात्र पुत्री नीलम देवी को पूर्व से ही वादी के रूप में पक्षकार दिनांक–15.12.2018 को वादी सं0–2 जो कि वादी सं0–1 के पति है, के मृत्यु पर पक्षकार बनाया गया है। अतः केवल मृतक वादिनी रामसखी देवी का नाम इस वाद से विलुप्त किया जाना आवश्यक है। आगे कथन करते है कि वादी द्वारा परिसीमा अवधि को माफ करने के लिए उक्त आवेदन के साथ ही आवेदन दाखिल है। वादी सं0–2(a) से 2(e) के दिनांक–20.06.2022 को दाखिल आवेदन स्वीकृत करते हुए वादिनी रामसखी देवी का नाम विलुप्त करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय। प्रतिवादी की ओर से वादी के उक्त आवेदनों पर किसी प्रकार कोई आपत्ति जाहिर नही करते है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0–1 रामसखी देवी की मृत्यु दिनांक–15.05.2021 को हो गई है। मृतक के वारीशान पूर्व से ही पक्षकार बने हुए है। वादी द्वारा परिसीमा अवधि के माफ करने के लिए आवेदन दाखिल है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी के दिनांक–20.06.2022 के आवेदन को तद्नुसार स्वीकृत किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि विहित समय के अन्दर मृतक वादिनी (वादी सं0–1) का नाम वाद–पत्र से विलुप्त करें।

वाद दिनांक– 21.07.2022 वास्ते प्रतिवादी सं0–1 के साक्ष्य हेतु।

मुंसिफ

बनमनखी।